# न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय,बांदीकुई जिला दौसा।

प्रकरण संख्या 15/2023
दायर दिनांक 13.04.23
निर्णय दिनांक 24.04.23

**उनवान**

कल्याण सहाय पुत्र मनसुख जाति गुर्जर निवासी बडाबास भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

.......प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

....अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र धारा 131 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट**

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 131 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट पेश किया दर्ज कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। बहस पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता बहस के दौरान कहा कि आराजी खसरा नं. 113/650 वाके गांव बडा बास भाण्डेडा का मूल खातेदार रहा है। हाल ही में तहसील बांदीकुई में सेग्रीकेशन का कार्य हुआ था। सेग्रीकेशन से पूर्व के नक्शा ट्रेस में ख.न. 118 के दक्षिण दिशा में प्रार्थी का आराजी ख.न. 113/650 स्थित है जो कि मौके एवं सेग्रीकेशन के पूर्व के नक्से के मुताबिक सही है। सेग्रीकेशन के दौरान नक्शा ट्रेस में ख.न. 113/650 के स्थान पर ख.न. 674/113 एवं 681/13 दर्ज कर दिये है तथा ख.न. 113 के स्थान पर 11/650 अंकित कर दिया। सेग्रीकेशन के दौरान नक्सा ट्रेस में किया गया परिवर्तन विधि विरूद्व है जिसे सेग्रीकेशन के पूर्व के नक्शा के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आग्रह किया।

तहसीलदार बांदीकुई ने अपने जवाब में भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट पेश कर नक्शा शीट में सेग्रीकेशन के दौरान हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पेश रिपोर्ट के अवलोकन के बाद प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 131 रा०लैण्ड रेवन्यू एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र 131 लैण्ड रेवन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम बडाबास भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा हाल सेग्रीकेशन नक्शा शीट में ख.न. 674/113 एवं 681/113 के स्थान पर मुताबिक पूर्व नक्शा शीट के ख.न. 113/650 एवं ख.न. 113/650 के स्थान पर ख.न. 674/113 रकबा 0.05 है0 एवं ख.न. 681/113 रकबा 0.07 है0 दुरूस्त नक्शा शीट किया जावे। तहसीलदार बांदीकुई उपरोक्तानुसार विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीना)
आर.ए.एस.
उपजिला मजिस्ट्रेट
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

महोदय

1. कोर्ट फीस पूर्ण है
2. क्षेत्राधिकार में है
3. मियाद में है
4. दस्तावेजात संलग्न है

रिपोर्ट पेश है

13/4/2023

SDM साहब

प्रार्थी द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी प्रा०पत्र धारा 13 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट (दुरूस्ती नक्शा हेतु) जर्ये वकील श्री नवीन कुमार गुर्जर के पेश किया। प्रकरण दर्ज रजि० कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस से की जाकर पत्रावली दिनांक 20/4/2023 को पेश हो।

20.4.23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०, तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक / रा.का./2023/1128 दिनांक 18.4.23 के संलग्न रिपोर्ट पटवारी ह०, 1-LR प्राप्त हुआ। प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। बहस पेश होवे। आदेश दिनांक 24.4.23 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

24.4.23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०, प्रार्थी प्रार्थना पत्र धारा 13 L.R. Act के तहत नक्शा सही [illegible] स्वीकार किया जाता है। तदनुसार निर्णय [illegible] प्रकरण [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया। प्रकरण [illegible] मुताबिक [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner